33

CP 157

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी (रीवा)

R.1842-II/06

१। रामसरन पुत्र श्री बंशधारी कुम्हार

२। कामताप्रसाद पुत्र श्री बंशधारी कुम्हार

दोनों निवासीगण ग्राम पसला, तहसील अनूपपुर, जिला शहडोल, म०प्र० ---- प्रार्थीगण

विरुद्ध

रमतिया पत्नी श्री राममनोहर कुम्हार, निवासिन पसला, तहसील अनूपपुर, जिला शहडोल, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग दिनांक २५-०८-०६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ । प्रकरण क्रमांक ७३५/९९-२००० अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपीलीय न्यायालयों की आज्ञायेकानूनन सही नहीं हैं ।

(२) यहकि अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि जब प्रारम्भिक न्यायालय एवम् प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एक दूसरे के विपरीत थे तब अपर आयुक्त महोदय को प्रकरण में उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य एवम् उभयपक्ष की आपत्तियों पर विस्तृत विचार कर निर्णय देना चाहिये था । ऐसा न करने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

------ २

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्र0 क0 निगरानी 1842–दो/06 जिला– अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 735/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 25.8.06 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया। अनावेदक अधिवक्ता श्री भार्गव द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 631/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27.8.15 को पारित किया जा चुका है जिसमें अनावेदक की निगरानी स्वीकार की गई है। अतः प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम आदेश हो चुका है, जिसकी सत्यप्रतिलिप अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी व्यर्थ (infructuous) हो जाने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	